

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय-व्यय अनुभाग)

क्रमांक प.4(1) वित्त-1(1) आ. व्य./2026

जयपुर, दिनांक: 16 जुलाई, 2026

परिपत्र

विषय:- वर्ष 2026-2027 के लिये अनुपूरक मांग (प्रथम संकलन)

वित्तीय वर्ष 2026-2027 में किये जाने वाले व्यय की पूर्ति के लिए विधान सभा द्वारा बजट पारित किये जाने के पश्चात् समस्त नियंत्रण अधिकारियों को इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 30 मार्च, 2026 के द्वारा उनमें निहित वित्तीय शक्तियों के अन्तर्गत स्वीकृत राशि की सीमा तक नियमानुसार उपयोग करने हेतु प्राधिकृत किया गया था। तत्पश्चात् वर्तमान सेवाओं अथवा नवीन सेवाओं के लिए उपलब्ध राशि से अधिक व्यय करने अथवा उसका समायोजन किए जाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वित्त विभाग द्वारा अतिरिक्त राशि समय-समय पर प्राधिकृत की गई है। इस प्रकार वित्त विभाग द्वारा अतिरिक्त प्राधिकृत राशि को विधान सभा के आगामी सत्र में अनुपूरक मांगों में सम्मिलित किया जाकर प्रस्तुत करना आवश्यक है।

अतः समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव एवं विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि वे अनुपूरक मांग के प्रस्ताव वित्त (बजट) विभाग को दिनांक 05 अगस्त, 2026 तक आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें। प्रस्ताव भिजवाने के संबंध में निम्न बिन्दुओं का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाना अपेक्षित है:-

1. चालू वित्तीय वर्ष में वित्त विभाग द्वारा राजस्थान आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम राशि की प्रतिपूर्ति इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना आवश्यक है। अतः ऐसे समस्त प्रकरणों में जहां वित्त विभाग द्वारा राजस्थान आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया है उन मामलों की प्रतिपूर्ति हेतु अनुपूरक मांगों के प्रस्ताव भिजवाया जाना अपेक्षित है।
2. जिन मामलों में वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक व्यय करने के लिए विभाग की पत्रावली पर अतिरिक्त प्राधिकृति (Additional Authorisation) स्वीकृत की गई है, उन मामलों का समायोजन यदि पुनर्नियोजन के द्वारा संभव नहीं है तो ऐसे मामलों के लिए प्रस्ताव आवश्यक रूप से अनुपूरक मांगों में सम्मिलित किए जावें;
3. स्वीकृत कार्य योजना की क्रियान्विति हेतु यदि किन्हीं मामलों में बजट प्रावधान स्वीकृत नहीं है तो ऐसे सभी मामलों (नवीन सेवा / नवीन बजट मद खोलने हेतु) के प्रस्ताव अनुपूरक मांगों में सम्मिलित किए जाने चाहिए;
4. वित्त विभाग द्वारा अनुपूरक मांगों के प्रस्ताव उसी स्थिति में स्वीकृत किए जायेंगे, जबकि विभागीय पत्रावली पर संबंधित प्रस्ताव का अनुमोदन वित्त (व्यय) विभाग द्वारा कर दिया गया हो। सभी विभागों से यह अपेक्षा की जाती है कि वित्त (व्यय) विभाग द्वारा दी गई सहमति/टिप्पणी की फोटोप्रति भी प्रस्तावों के साथ संलग्न कराई जावें; एवं

5. अनुपूरक अनुदान की मांगों हेतु विभागीय प्रस्ताव निर्धारित तिथि दिनांक **05.08.2026** तक आवश्यक रूप से भिजवाया जाना अपेक्षित है। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर विचार किया जाना सम्भव नहीं हो सकेगा।



(शिवांगी स्वर्णकार)
विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

- 1- सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- 2- अति.मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- 3- विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय (वित्त)।
- 4- विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री / मंत्रीगण / राज्य मंत्रीगण राजस्थान, जयपुर।
- 5- समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/ विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान सरकार।
- 6- वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
- 7- समस्त संयुक्त शासन सचिव/ उप शासन सचिव, वित्त विभाग।
- 8- समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टर सहित)।
- 9- प्रशासनिक सुधार विभाग (कोडीफिकेशन)।
- 10- सिस्टम एनालिस्ट, (संयुक्त निदेशक) वित्त विभाग (कम्प्यूटर सैल) को प्रेषित कर लेख है कि इस परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करावें।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ प्रेषित है :-

- 1- प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर
- 2- रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/ जयपुर
- 3- सचिव, लोकायुक्त, राजस्थान, जयपुर
- 4- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
- 5- सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर



(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक, वित्त (बजट)

(07/2026)